न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 88 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. धना पुत्र मुगला जाति विश्नोई निवासी कमालपुरा एन.एच. 15 बी0 लाल होस्पीटल सांचोर तहसील व जिला सांचौर 2. पेमा पुत्र मुगला जाति विश्नोई, निवासी डूँगरी तहसील व जिला सांचौर		1. भाखराराम पुत्र साजनराम 2. प्रतापाराम पुत्र मुगलाराम फौत कायम मुकाम 2 / 1गोगाराम पुत्र प्रतापाराम 3. परमेश्वरी पत्नी गोगाराम 4. सोना पुत्र मुगला फौत का.मु. 4 / 1उदाराम पुत्र सोना जातियान विश्नोई, निवासीयान सियागपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक बी सी सी बी शाखा धौरीमन्ना 6. शाखा प्रबंधक एस बी आई भूणिया 7. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 232 / 2023 बअनवान भाखराराम बनाम प्रतापाराम का.मु. गोगाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री छेलसिंह राठौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.12.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1503 / 289 रकबा 3.0756 हैक्टयर ग्राम सियागपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 290 रकबा 7.9723 हैक्टयर में चलकर सरकारी रास्ते तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को

13.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण के नाम से जो नोटिस जारी किये गये है जिनकी कोई तामील अपीलांटगण से नहीं करवाई है बिना विधिक प्रक्रिया अनुसार नोटिस तामिल करवाये ही जल्दबाजी से ईकतरफा आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज की स्टेज पर ही मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किये गये जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त भी नोटिस अपीलांटगण से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई है उसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं दी गई तथा हल्का पटवारी ने उतरदाता के साथ मिलावट कर, बिना मौके पर आये, बिना वास्तविक व भौतिक रूप से निरीक्षण किये ही गलत मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई तथा मौका रिपोर्ट में जो नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त नये रास्ते की भूमि न तो निकटतम है तथा न ही सीधा रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त भी अपीलांटगण के नाम से नोटिस जारी किये गये जो पर्याप्त तामील करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए

13.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांटगण के सहखातेदार विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते में प्रस्तावित भूमि को अपने हिस्से में से कम करने का निवेदन किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्वीकार किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के

13.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 232/2023 बअनवान भाखराराम बनाम प्रतापाराम का.मु. गोगाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 को यथावत रखा जाता है।

13.12.23
(मंगलाराम सुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर